भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

Office Order No. 61 of 2024

Sub : Monitoring of Attendance of Officials working in Board's Office.

Aadhar Enabled Biometric Attendance System (AEBAS) was enabled for registering Attendance with a view to ensuring and effectively monitoring attendance and punctuality of all its officials as a means to efficient transaction of the office works. For the purpose, Wall Mounted Biometric System, Desktop Biometric System and Phone based Biometric System have been enabled for smooth marking of attendance in Board's Office. Instructions have also been issued from time to time on marking of attendance and adhering to the guidelines on punctuality, the last being vide Office Order No. 57 of 2024.

2. Despite these instructions, it has been noticed that maintenance of punctuality is steadily declining over a period of time. There are also cases where employees are not marking their attendance in AEBAS. Few officials have not yet registered themselves in Biometric Attendance System to mark the attendance. **It is again reiterated that employees should record their attendance in AEBAS without fail, both at the time of coming and leaving office.**

3 Instructions for proper monitoring of the Punctuality through AEBAS has already been issued and the same is reiterated again.

(i) All DDs/USs/Section Officers will form a group of employees reporting to them on the website (indianrailways.attendance.gov.in), through which their attendance can be monitored daily. Forming of group will be done through RBCC.

(ii) A summary of the punctuality report of the employees in the branch will be put up by 1st week of every month by the branch in charge to the concerned reporting officers upto ED level, for information and necessary action. A copy of the same will also be sent to Secretary/Railway Board by 10th of every month on the email_Id - attendance.rb@rb.railnet.gov.in for further monitoring of attendance.

(iii) For Stenographic Officials, the officers with whom they are attached will monitor their attendance by following the same procedure as outlined above.

4. All Executive Directors/Directors are again requested to ensure that the instructions on monitoring of punctuality outlined in para 3 above i.e. updating details of Reporting Officer and monitoring through Group, are strictly followed by the branches working under them. They may also initiate necessary corrective action based on the monthly punctuality reports.

5. The above instructions may be adhered to by all officers/staff without fail.

No.2024/O&M/9/1
Dated: 11.10.2024

(T. Srinivas)
Joint Secretary/ Railway Board
Tele No. 011-23387446
Email_Id: t.srinivas1@gov.in

All Officers/Branches in Board's Office, COFMOW Building and at Dayabasti, New Delhi.

EDPG/MR, JDPG/MoSR(S), Sectt. of MoSR(R)

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/ RAILWAY BOARD)

<u>2024 का कार्यालय आदेश सं. 61</u>

विषय: बोर्ड कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति की निगरानी।

कार्यालय संबंधी कार्यों के कुशल संचालन के साधन के रूप में सभी कर्मचारियों की उपस्थिति तथा समयपालन सुनिश्चित करने और प्रभावी निगरानी करने की दृष्टि से उपस्थिति दर्ज करने के लिए आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) को सक्षम बनाया गया था। इस उद्देश्य हेतु बोर्ड कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करने की सुगमता के लिए वॉल माउंटेड बायोमेट्रिक प्रणाली, डेस्कटॉप बायोमेट्रिक प्रणाली तथा फोन आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली चालू की गई है। उपस्थिति दर्ज करने तथा समयपालन संबंधी दिशानिर्देशों के पालन के लिए समय-समय पर अनुदेश भी जारी किए गए, इस संबंध में जारी अंतिम आदेश 2024 का कार्यालय आदेश सं. 57 था।

2. इन अनुदेशों के बावजूद, पिछले कुछ समय से यह देखा गया है कि समयपालन में लगातार कमी आ रही है। ऐसे मामले भी हैं जहां कर्मचारी आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं। कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों ने उपस्थिति लगाने के लिए अभी तक बायोमेट्रिक प्रणाली में अपना पंजीकरण नहीं करवाया है। **यह दोहराया जाता है कि कर्मचारियों को कार्यालय आने और जाने की उपस्थिति आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में अवश्य दर्ज करनी चाहिए।**

3. आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) के माध्यम से समयपालन की उचित निगरानी के संबंध में अनुदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं तथा उन्हें यहां पुन: दोहराया जा रहा है।

(i) सभी उपनिदेशक/अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी अपने रिपोर्ट करने वाले कर्मचारियों का वेबसाइट (indianrailways.attendance.gov.in) पर एक ग्रुप बनाएंगे ताकि उनके अधीनस्थ कर्मचारियों की उपस्थिति की निगरानी दैनिक रूप से की जा सके। ग्रुप बनाने का यह कार्य आरबीसीसी के माध्यम से किया जाएगा।

(ii) शाखा प्रभारी द्वारा शाखा में कर्मचारियों के समयपालन की रिपोर्ट प्रत्येक माह के पहले सप्ताह तक कार्यकारी निदेशक स्तर तक संबंधित रिपोर्टिंग अधिकारियों को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रस्तुत की जाएगी। उपस्थिति की निगरानी के लिए इसकी एक प्रति सचिव/रेलवे बोर्ड को ईमेल आईडी <u>attendance.rb@rb.railnet.gov.in</u> पर भी भेजी जाए।

(iii) आशुलिपिक अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति की निगरानी उपर्युक्त समान प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए उनके आसन्न अधिकारी द्वारा की जाएगी।

4. कृपया सभी कार्यकारी निदेशक/निदेशक यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीन कार्यरत शाखाओं द्वारा उपर्युक्त पैरा 3 में उल्लिखित समयपालन के निगरानी संबंधी अनुदेशों अर्थात रिपोर्टिंग अधिकारी के विवरण को अद्यतन करना और ग्रुप के माध्यम से निगरानी का कड़ाई से पालन किया जाए। साथ ही, मासिक समयपालन रिपोर्टों के आधार पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई भी की जाए।

5. सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त अनुदेशों का निरपवाद रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(टी. श्रीनिवास)
संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड
ई-मेल आईडी: t.srinivas@gov.in

सं. 2024/ओएंडएम/9/1
दिनांक: 11.10.2024

बोर्ड कार्यालय, कॉफमो और दयाबस्ती, नई दिल्ली के सभी अधिकारी और शाखाएं।

कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, संयुक्त निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (एस), रेल राज्य मंत्री (आर) का सचिवालय।